

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10 (104)नविवि / 3 / 2010      जयपुर, दिनांक 16.07.2010

### अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को रानी खुर्द (जिला पाली) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए बनाने हेतु नियुक्त करती है :—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	NAME OF VILLAGE	तहसील का नाम
1.	रानी कलां	GANI KALLAN	देसूरी
2.	रानी खुर्द	GANI KHURD	देसूरी
3.	इटड़ा चारणान	ITDARA CHARANAN	देसूरी
4.	बिजोवा	BIJOVA	देसूरी
5.	पादरली सिधलान	PADRLI SIDHLAN	देसूरी
6.	सरखेजड़ा	SARKHEJRA	बाली
7.	खिमेल	KHIMEL	बाली
8.	मोखमपुरा	MOKHAMPURA	बाली
9.	फतापुरा	PHATAPURA	बाली

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, पाली।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रानीखुर्द।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)  
उप नगर नियोजक